

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/267

दिनांक: 25/2/19

-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री विश्वास गोदारा	सहायक राजस्व निरीक्षक	पदमपुर	श्रीगंगानगर
2	श्री प्रमोद जाट	कनिष्ठ लेखाकार	रायसिंहनगर	बीकानेर
3	श्री हर्ष जैन	कनिष्ठ लेखाकार	अलवर	भिवाडी
4	श्री कुलवन्त धवन	कनिष्ठ लिपिक	अलवर	भिवाडी
5	श्री राजेन्द्रसिंह पंवार	वरिष्ठ लिपिक	लाडनूँ	डीडवाना
6	श्री किशोर कुमार	कनिष्ठ सहायक	सुरजगढ (स्थानान्तरणधीन)	डीडवाना
8	श्री मनीष गुर्जर	फायरमैन	बगरु	बांदीकुई
9	श्री वीरेन्द्र मीना	फायरमैन	बांरा	इटावा
10	अनिता कुमारी	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	सीकर
11	अनिता शेखावत	फायरमैन	फतेहपुर	सीकर
12	श्री प्रकाश दानोदियां	फायरमैन	नवलगढ	सीकर
13	श्री गजेन्द्र कुडी	फायरमैन	लोसल	सीकर
14	अमरावती डोडवाडिया	फायरमैन	लोसल	सीकर
15	श्री संजय बारी	फायरमैन	रतनगढ	सीकर
16	श्री हुकम चंद मेहता	फायरमैन	बांरा	सांगोद
17	श्री महेन्द्र नागर	फायरमैन	सांगोद	एपीओ निदेशालय
18	श्री गजेन्द्र नागर	फायरमैन	सांगोद	एपीओ निदेशालय
19	श्री मोहन लाल जावा	सफाई कर्मचारी	तिजारा	बीकानेर
20	श्रीमती मनीषा गोयल/पारस जावा	सफाई कर्मचारी	सुमेरपुर	बाडमेर
21	श्री युधिष्ठिर/श्री महेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	पोकरण	बाडमेर
22	श्रीमती मनीषा/श्री स्व. अशोक कुमार	सफाई कर्मचारी	पोकरण	बाडमेर
23	श्री शिंभुदयाल गुर्जर	सफाई कर्मचारी	जयपुर	दौसा
24	श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री बालकिशन	सफाई कर्मचारी	नोखां	बीकानेर
25	श्री विनोद/राधेश्याम	सफाई कर्मचारी	नोखां	बीकानेर
26	श्री अमरचंद/ नानुराम	सफाई कर्मचारी	लाडनूँ	बीकानेर
27	श्री देवचंद/गोपाल	सफाई कर्मचारी	कोटा	बीकानेर
28	श्री बुधराम वर्मा	लाईनमैन	एपीओ निदेशालय	पीलीबंगा

आदेश क्रमांक प.1(ग)( )का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/2256-2298 दिनांक 14.02.2019 के क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री नन्दलाल सुमन, नगर पालिका छबडा से एपीओ निदेशालय किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति संबंधित नगरीय निकाय में देवें।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यवस्था: जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/19/2672-2769

दिनांक : 25/2/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री .....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)